DECLARATION

NATIONAL CONVENTION OF WORKERS

PYARELAL BHAWAN, NEAR ITO, NEW DELHI

18th MARCH, 2025

This National Convention of Workers being held in New Delhi on 18th March 2025, at the call of the Joint Platform of Central Trade Unions and Independent Sectoral National Federations/Associations representing all sections of the working people of our country, takes stock of the alarming situation before the workers and all sections of common people in our country, because of the anti-worker, anti-people policies being pursued by the NDA government at the Centre for the third term.

After managing to come back to power at the centre for the third term through coalition arrangement the Govt has become atrociously desperate to push through its corporate servile policy machinations on the lives and livelihood of the overwhelming majority of toiling populace. This is resulting in continuing phenomenon of deepening and widening impoverishment, spread of hunger and malnutrition below destitution level, skyrocketing unemployment and joblessness together with drastic degeneration of quality of jobs to inhumane level and what-not. Simultaneously, the profit by the corporate and big-business got multiplied to all time high. Even the latest official Economic survey, could not hide the blatant bankruptcy of the perverse policy regime. It exposes that the wages of the informal economy workers have fallen in 2023-2024 from the level of those in the year 2017-2018. On the contrary the employment-increase was only 1.5 percent. Casual male workers were drawing earnings between Rs.203 to Rs.242 whereas women were getting between Rs.128 to Rs.159. The very same report also reflects that the profits of corporate sector grew by 22.3 percent.

Inequalities are rising in our country. 5 percent top population owns 70 percent of wealth whereas for the 50 percent people from the bottom, their share in wealth is 3 percent only. Richest Indians are richer than those of the European billionaires whereas poorest Indians are poorer than Madagascar with poverty having increased by 17 percent during more than ten years of present ruling regime. 90 percent families were termed poorer than international standards in 2018 as per international studies conducted by reputed institutions.

In its third term of governance, this Govt. has become furiously over-active in implementing the Labour Codes, which is a comprehensive blue-print of imposing conditions of virtual slavery on the working people as a whole. These codes would snatch from them almost all rights and entitlements of workers at their workplaces. The CTUs/Federations take it as a serious challenge to all the basic rights of the workers relating to defined working conditions including working hours, minimum wages, social security etc. and also their collective rights to unionization, recognition, collective bargaining, agitations/struggles and any form of collective expressions of protests including right to strike etc. being sought to be snatched away, together with atrocious and vindictive punitive measures against any collective dissents by the workers. In essence the Labour Codes are a blue-print to impose conditions of virtual slavery on the working people in the interests of the corporate/employers' class.

The National Convention notes that the decision of implementing Labour Codes is integral to the ongoing project of the corporate class to drastically curb the basic democratic and constitutional rights of the common people including the rights to freedom of expression and assertion of dissent including collective dissent through numerous enactments like UAPA, PMLA including the latest edition of Bhartiya Nyaya Sanhita (BNS).The numerous administrative and executive measures aimed at rabidly authoritarianise almost all forms of governance with a fascistic intent are being taken. These are aimed at bulldozing all democratic and collective opposition to the pro-corporate, policies against national interest. The collective action, even collective lodging of complaints by the workers and their unions are being sought to be interpreted as "organized crime" as per section 111 of BNS leading to harsh police action including non-bailable imprisonment of the workers and their union leaders. Already such events of criminal actions against workers and union leaders for collectively representing their grievance either to management or even to Labour Department have started taking place in many states implicating trade union leaders and activists in numerous cases. And such a repressive exercise resulted in overactive authoritarian interventions including threats by the employers/management in various industries and establishments including even in various Govt departments towards restraining and virtually prohibiting day to day collective activities of the workers and their unions like holding gate/departmental meetings, distributing leaflets, submitting memorandums etc. and thereby seeking to create an atmosphere of fear among the workers. The united working-class movement cannot remain a silent onlooker to such disastrous machinations on the country and the people.

The Convention upholds the charter of demands formulated by the Joint Platform of Trade Unions through previous national convention on 30.1.2023 covering the basic rights to lives and livelihood of the working people of both the organized and unorganized sector and self-employed occupations, In order to pursue struggle to realise these demands, the implementation of Labour Codes must be stalled and decisively defeated through countrywide united struggles of defiance and resistance by the working class both at national level united actions and also through united sectoral resistance. It is a life and death question for the working-class movement as well as for defending the constitutional and democratic structure of country's governance. Hence the National Convention asserts that the resistance struggle to defeat and scrap the Labour Codes has become central prerequisite in the united struggle of the working class to achieve their just and legitimate charter of demands for a decent and humane working life and also their right to quality employment.

The National Convention considers the all in unity of the toiling people irrespective of religion, caste, community, ethnicity, linguistic and cultural diversities, as a united toiling class, in forthcoming battle for their just and legitimate rights and demands, is of crucial importance. Therefore, it is also most crucial front line task for joint movement of the toiling people to consciously confront all poisonous divisive and conspiratorial machinations on the society as these are meant to weaken and divert the united resistance of the toiling people against the crimes being committed on the people and national economy. The government agenda of Wakf of Board Amendments Bill is brought with the intention of promoting divisive politics. As a diversionary tactics and ulterior motive "one nation one election" agenda is being pushed despite disagreement by the whole opposition.

During last couple of years, the Govt started decriminalizing various defaults/offences by the corporate/big business class through so called Jana-Vishwas Act which is nothing but a license to them to violate various laws including labour laws with impunity. The Govt has decriminalized already 180 offences of corporate/big-business class under 41 legislations including the Boiler Act, Forest Act, Tea Act etc. withdrawing all provisions of imprisonment for any violation of those laws and get scot-free by paying some fines, which is much less than the gains from violations. Again, the Last Union Budget has declared their decision to decriminalize 100 more offences. And such decriminalization of offences by corporate employers also includes violation/non-fulfillment of obligations under many labour laws. All these are being done by the Govt under the dubious and shameless plea of **"Ease of doing Business".**

Even before the implementation of labour codes, the so-called Shram Samadhan and Shram Suvidha Portals has practically done away with the long-established system of complaint-based inspection of establishments, thereby making labour-law-violations by the employers a free game with continuing impunity.

The entire governance while promoting such perverting process of labour related governance system has without any camouflage opened the entire national exchequer generated by huge tax-burden on the common people for liberal exploitation by handful of corporates through various so-called incentive schemes, production-linked, capex-incentive and latest employment linked incentive scheme. The production linked incentive (PLI) scheme of Rs.1.97 lakh crores for 14 industries in the manufacturing sector, Rs.76000 crores capex incentive to the semiconductor manufacturing industries, and Rs.2 lakh crores of employment linked incentive (ELI) scheme in the process of last two/three years have neither generated any additional employment, nor any worth-noting increase in production in the concerned sector, nor any worthwhile increase in investment which are all matters of record.

On the other hand, we note consistent decline and drastic cut in budgetary allocations in real terms in all people-related heads like MNREGA, Public Health, Education and various other welfare schemes and programmes.

In a nefarious way the Govt is attempting to bring back the provisions of the already-scrapped draconian three farm laws through the recently released Draft National Policy Framework on Agricultural Marketing which is being rightly opposed by the Samyukt Kisan Morcha (SKM). The commitment on Statutory MSP based on C2 plus 50 and ensured procurement based on that basis has not been implemented for which the SKM has been continuing its relentless agitation/struggle activities.

The Govt has notified grossly truncated Unified Pension Scheme (UPS) as an alternative option to New Pension Scheme (NPS) ignoring the just demand of employees for restoration of Old Pension Scheme (OPS). It is reluctantly making halfhearted attempts to implement and also block the implementation of the Supreme Court directions for higher pension under EPS.

Along with continuing its ongoing privatization policy, the Govt is aggressively pursuing its new format of privatization through National Monetization Pipeline (NMP) that too in the infrastructure sector of Roadways, Railways, Airways, Port

and Dock, Telecommunication and also in Mining through the nefarious Mines Developer and Operator (MDO) model enabling loot of public assets at a throw away price, rather almost free in terms of net worth of the assets. 100% FDI in Insurance, amendment to Postal Act doing away with the Govt monopoly over the postal service allowing the private, enabling private corporates in defence manufacturing, research & development, including the space exploration and technology are all done to favour the corporate at the cost of national interests, against which the sectoral struggles of resistance and defiance are mounting across.

The electricity employees are on continuous movement against the handing over of Discoms to the private players as witnessed recently in Chandigarh and Uttar Pradesh. And people across the nation at several places are opposing the installation of smart meters. The recent joint national convention of electricity employees, engineers held at Nagpur on 23rd Feb 2025 has decided to join the joint strike call action of this convention and has also resolved to again go on for sectoral strike on its demands independently on June 26th, 2025.

The recent govt. policy on ship-breaking industries will bring death knell to the livelihood majority of the women who are dependent on this sector for survival.

Is this not a government totally against what we want? We can clearly see that whatever the Govt does is to illegitimately benefit the Corporate Class, the rich people at the expense of vast work force? This ruling dispensation is not only working against the interests of workers, farmers, students, youth, women and the other vulnerable sections of the society, against the intelligentsia etc., but its policies are facilitating the loot of natural resources and the national assets by the Corporate of Indian and foreign brand. These policies are against the national interest.

All our demands are just and legitimate and are also crucial for saving the national economy from disaster and de-growth.

Labour Codes and accompanying restructuring of the entire governance system are aimed at promoting such direly anti-people and anti-national policy regime and therefore defeating and scrapping the Labour Codes through united actions of the working people with a continuity has become the prime task of the hour along with demanding fulfilment of the 17 points of charter of demands of Joint Platform of CTU's and Federations

Indian Labour Conference (ILC), the highest tripartite body has to be convened immediately. ILO Conventions 87, 98, 190 must be ratified. Fundamental Principles of Rights at Work (FPRW) as per ILO Convention 155 and 187 have to be adhered to with regard work place safety and Convention -81 for inspection has to be implemented. ILO Convention 177 on home-based workers and ILO Convention 189 on domestic workers should be ratified immediately.

Immediate halt should be put to the entire privatization drive of Indian Railways, and Road transport, Coal mines and other non-coal mines, Port and Dock, Defense, Electricity, Steel, Petroleum, Postal, Telecom, Banks and Insurance sector etc. in the national interest. The NMP Scheme to be scrapped. The defense ordinance factories are vital for national security and should be in the government sector and corporatization should be rolled back. 100% FDI in Insurance Sector should be stalled along with the scrapping of policy and agency portability.

Rs 26000/- as minimum wage with regular revision every five years with price indexation should be ensured.8th pay commission should be constituted at the earliest. Fixed term employment and Agni Path scheme should be scrapped and outsourcing/ contractualization of Jobs should be stopped. Equal pay for equal work should be ensured. The Government should begin forthwith for recruitments of sanctioned posts and also to revive the lapsed posts. Violation of 8 hours of workday, a hard won right of working class should be curbed. The violation should be dealt with stringent punitive action against the violator establishments.

The New Education Policy meant to encourage commercialization, centralization and communalization in education making it unaffordable for poor, lower and even middle-income groups of society must be withdrawn. Sufficient fund for education and health should be provided.

Non-contributory Old Pension Scheme should be restored. Rs.9000/-minimum Monthly pension under EPS 95 with link to price-index should be ensured. Those not covered under any scheme be given Rs.6000/- per month by creating special fund/corpus through sharing of budgets of the states and the centre.

75 lakh beedi workers, the multifaceted welfare scheme under the previous cess-regime should be restored with govt funding. The social security benefits for more than 57.5 million constructions and other building workers enrolled in the BOCWB's should be substantially improved. 30crores plus e-Shram portal enrolled unorganized workers have to be

covered under social security through necessary budgetary funding. Gig and platform workers to be recognized as workmen and all labour laws be applicable to them. Climate Resilience Fund to cover the risks and damages caused due to extreme climate conditions including heat wave, floods, cyclones, unseasonal rains and so on should be set up. The National policy on migrant workers is urgently needed and interstate Migrant Workers Act 1979 be revived and revisited, strengthened and implementation assured. There is need for changes in immigration policies as well as the protection needs of our international migrant workers.

Indian Labour Conference recommendation to provide worker status to scheme workers-Anganwadi, Asha and Mid-day-meal, Asha Kiran etc. should be implemented and Gratuity to them as per judicial directions must be immediately ensured.

200 days' work per annum with increased minimum wages under MNREGA through sufficient budgetary allocation should be ensured along with expanding it to urban areas as per the recommendation of 43rd ILC.

Hence this National Convention of Workers,calls upon the working people of our country to take united struggles to a higher level of combative resistance both at national and sectoral level through a series of joint actions with a continuity. To begin with, **this National Convention calls for observance of a massive Nationwide General Strike on 20th May 2025** to be preceded by series of preparatory campaign/agitations/mobilizations focusing on our firm determination to continue our resistance struggle to defeat the retrograde Labour Codes to save the people and save the nation.

This National Convention of Workers,while reiterating their demand for the Scrapping of Labour Codes and re-affirming 17-point charter of demands, which projects the alternative to the entire gamut of the disastrous neoliberal policy regime, resolves to make success the **20th May 2025 Nationwide General Strike** and proposes the following actions/programmes throughout the nation for its success:

* Organize state/district/and sectoral conventions in the month of March 2025 to middle of April 2025.
* Organize protest actions as resistance and defiance, very next day once the labour codes implementation announced and thereafter continue extensive campaign to culminate in General Strike on 20th May 2025.
* Undertake intensive campaign at local level and reach out every working people through Padayatras/jeep jathas/cycle jathas/motorbike jathas etc., in the month of April/May 2025.
* In the month of April, a decentralized Nation-wide mobilization to give boost to campaign for strike be organized (Date may be decided later) Delhi mobilization with participation from NCR areas be organized on that day.
* Issue General Strike Notice in the respective sector/industry through the respective unions and federations before 3rd May 2025.
* Issue the General Strike Notice jointly signed by all the Central Trade Unions to the factories even where the Unions are not there at local level latest by 3rd May 2025.
* Multiply the Joint signed appeal for General Strike in millions in the local language and reach out to every worker.
* Hold gate meetings /work place level/ residential area meetings to reach out all sections of workers and the people at large.
* There should be review of activities after the General Strike to further heighten the combat of resistance and defiance to labour codes and anti-people policies to save nation from these anti national policies.

Onward to massive mobilization and Nationwide General Strike on 20th May 2025

INTUC	AITUC	HMS	CITU	AIUTUC
TUCC	SEWA	AICCTU	LPF	UTUC

And Independent National Sectoral Federation/Associations.

घोषणापत्र

राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन

प्यारेलाल भवन, आईटीओ के पास, नई दिल्ली

18 मार्च, 2025

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय राष्ट्रीय फेडरेशनों/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला यह राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, हमारे देश के मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारे देश के श्रमिकों और आम लोगों के सभी वर्गों के सामने खतरनाक स्थिति का जायजा लेता है, क्योंकि केंद्र में तीसरी बार आई एनडीए सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां मजदूर विरोधी, जन विरोधी हैं।

गठबंधन व्यवस्था के माध्यम से तीसरी बार केंद्र में सत्ता में वापस आने के बाद, सरकार मेहनतकश आबादी के भारी बहुमत के जीवन और आजीविका पर अपनी कॉर्पोरेट गुलामी नीति को लागू करने के लिए बेहद बेताब हो गई है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी बढ़ती जा रही है, भुखमरी और कुपोषण का स्तर अभाव से भी नीचे चला गया है, बेरोजगारी और बेकारी में भारी वृद्धि हो रही है, साथ ही नौकरियों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है और यह सब अमानवीय स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही, कॉरपोरेट और बड़े–बड़े कारोबारियों का मुनाफा कई गुना बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यहां तक कि नवीनतम आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण भी इस विकृत नीति व्यवस्था के घोर दिवालियापन को नहीं छिपा सका। यह उजागर करता है कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों का वेतन वर्ष 2017–2018 के स्तर से 2023–2024 में गिर गया है। इसके विपरीत रोजगार में केवल 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आकस्मिक (कैजुअल) पुरुष श्रमिक 203 से 242 रुपये के बीच कमा रहे थे, जबकि महिलाओं को 128 से 159 रुपये के बीच मिल रहा था। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र के मुनाफे में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हमारे देश में असमानताएं बढ़ रही हैं। शीर्ष की 5 प्रतिशत आबादी के पास 70 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि नीचे से 50 प्रतिशत लोगों के पास संपत्ति में केवल 3 प्रतिशत हिस्सा है। सबसे अमीर भारतीय, यूरोपीय अरबपतियों से भी अधिक अमीर हैं, जबकि सबसे गरीब भारतीय मेडागास्कर के गरीबों से भी अधिक गरीब हैं, जहां भारत में वर्तमान शासन के दस वर्षों से अधिक के दौरान गरीबी में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार 2018 में 90 प्रतिशत भारतीय परिवारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भी अधिक गरीब माना गया।

शासन के अपने तीसरे कार्यकाल में, यह सरकार श्रम संहिताओं को लागू करने में अत्यधिक सक्रिय हो गई है, जो समग्र रूप से कामकाजी लोगों पर आभासी गुलामी की स्थिति थोपने का एक व्यापक खाका है। ये कोड उनसे उनके कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लगभग सभी अधिकार और हक छीन लेंगे। सी.टी.यू./फेडरेशन इसे काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा आदि सहित परिभाषित कार्य स्थितियों से संबंधित श्रमिकों के सभी बुनियादी अधिकारों के लिए एक गंभीर चुनौती के रूप में लेते हैं और साथ ही यूनियन बनाने, मान्यता, सामूहिक सौदेबाजी, आंदोलन/संघर्ष और हड़ताल आदि के अधिकार सहित विरोध के किसी भी सामूहिक अभिव्यक्ति के उनके सामूहिक अधिकारों को छीनने की कोशिश है, साथ ही श्रमिकों द्वारा किसी भी सामूहिक असहमति के खिलाफ क्रूर और प्रतिशोधी दंडात्मक उपाय हैं। संक्षेप में श्रम संहिताएँ कॉर्पोरेट/नियोक्ता वर्ग के हितों में कामकाजी लोगों पर आभासी गुलामी की स्थिति थोपने का एक खाका हैं।

राष्ट्रीय सम्मेलन ने कहा कि श्रम संहिताओं को लागू करने का निर्णय कॉर्पोरेट वर्ग की चल रही परियोजना का अभिन्न अंग है, जो आम लोगों के बुनियादी लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों पर भारी अंकुश लगाना चाहता है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और असहमति की अभिव्यक्ति के अधिकार शामिल हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के नवीनतम संस्करण सहित यूएपीए, पीएमएलए जैसे कई अधिनियमों के माध्यम से सामूहिक असहमति शामिल है। लगभग सभी प्रकार के शासन को फासीवादी इरादे से उग्र रूप से अधिनायकवादी बनाने के उद्देश्य से कई प्रशासनिक और कार्यकारी उपाय किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय हित के खिलाफ कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के विरूद्ध सभी लोकतांत्रिक और सामूहिक विरोध को कुचलना है। सामूहिक कार्रवाई, यहां तक कि श्रमिकों और उनके यूनियनों द्वारा सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज करने को भी बीएनएस की धारा 111 के अनुसार "संगठित अपराध" के रूप में व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण श्रमिकों और उनके यूनियन नेताओं की गैर–जमानती कारावास सहित कठोर पुलिस कार्रवाई की जा रही है। पहले से ही कई राज्यों में प्रबंधन या यहां तक कि श्रम विभाग के समक्ष अपनी शिकायत सामूहिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए श्रमिकों और यूनियन नेताओं के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, जिसमें कई मामलों में ट्रेड यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है। और इस तरह के दमनकारी अभ्यास के परिणामस्वरूप विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं/प्रबंधन द्वारा अति सक्रिय सत्तावादी हस्तक्षेप हुए, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों में भी श्रमिकों और उनके संघों की दिन–प्रतिदिन की सामूहिक गतिविधियों जैसे गेट/विभागीय बैठकें आयोजित करना, पर्चे बांटना, ज्ञापन सौंपना आदि को रोकना और वस्तुतः प्रतिबंधित करना और इस तरह श्रमिकों के बीच भय का माहौल बनाने की कोशिश करना शामिल है। देश और लोगों पर इस तरह के विनाशकारी षड्यंत्रों को देखते हुए एकजुट मजदूर वर्ग आंदोलन, मूक दर्शक नहीं रह सकता।

यह कन्वेंशन 30.1.2023 को पिछले राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा तैयार मांगों के चार्टर को बरकरार रखता है, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों और स्वरोजगार वाले व्यवसायों के कामकाजी लोगों के जीवन और आजीविका के बुनियादी अधिकारों को शामिल किया गया है। इन मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट कार्रवाइयों और साथ ही एकजुट क्षेत्रीय प्रतिरोध के माध्यम से मजदूर वर्ग द्वारा अवज्ञा और प्रतिरोध के देशव्यापी एकजुट संघर्षों के माध्यम से रोका जाना चाहिए और निर्णायक रूप से पराजित किया जाना चाहिए। यह मजदूर वर्ग के आंदोलन के लिए जीवन–मरण का प्रश्न है, साथ ही देश के शासन के संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। इसलिए राष्ट्रीय सम्मेलन इस बात पर जोर देता है कि श्रम संहिताओं को रद्द करवाने के लिए प्रतिरोध संघर्ष मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष में केंद्रीय शर्त बन गया है ताकि एक सभ्य और मानवीय कामकाजी जीवन और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अपने अधिकार के लिए उनकी न्यायसंगत और वैध मांगों को हासिल किया जा सके।

राष्ट्रीय सम्मेलन का मानना है कि धर्म, जाति, समुदाय, नस्ल, भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से परे मेहनतकश लोगों की एकजुटता, उनके न्यायपूर्ण और वैध अधिकारों और मांगों के लिए एक संयुक्त मेहनतकश वर्ग के रूप में, आगामी लड़ाई में रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मेहनतकश लोगों के संयुक्त आंदोलन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अग्रिम पंक्ति का कार्य है कि वे समाज पर सभी जहरीले विभाजनकारी और षड्यंत्रकारी षड्यंत्रों का सचेत रूप से सामना करें क्योंकि इनका उद्देश्य लोगों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर किए जा रहे अपराधों के खिलाफ मेहनतकश लोगों के एकजुट प्रतिरोध को कमजोर और विचलित करना है। सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अपने बांटो राज करो की नीति को बढ़ाने के लिए लाया गया है। इसी तरीके से आम जनता के मांगों के हल के बजाय यह सरकार एक देश एक चुनाव की बहस में अपने खतरनाक मंसूबों के तहत बढ़ा रही है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, सरकार ने तथाकथित जन–विश्वास अधिनियम के माध्यम से कॉर्पोरेट बड़े व्यापारी वर्ग द्वारा विभिन्न चूक/अपराधों को अपराधमुक्त करना शुरू कर दिया है, जो उन्हें श्रम कानूनों सहित विभिन्न कानूनों का उल्लंघन करने के लिए एक लाइसेंस के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार ने बॉयलर एक्ट, वन अधिनियम, चाय अधिनियम आदि सहित 41 कानूनों के तहत कॉरपोरेट बड़े–व्यापारिक वर्ग के 180 अपराधों को पहले ही अपराधमुक्त कर दिया है, इन कानूनों के किसी भी उल्लंघन के लिए कारावास के सभी प्रावधानों को वापस ले लिया है और कुछ जुर्माना देकर छूट पा ली है, जो उल्लंघन से होने वाले लाभ से बहुत कम है। फिर से, पिछले केंद्रीय बजट ने 100 और अपराधों को अपराधमुक्त करने का अपना निर्णय घोषित किया है। और कॉरपोरेट नियोक्ताओं द्वारा अपराधों के ऐसे अपराधमुक्त करने में कई श्रम कानूनों के तहत दायित्वों का उल्लंघन आपूर्ति भी शामिल है। यह सब सरकार द्वारा "व्यापार करने में आसानी" के संदिग्ध और बेशर्मी भरे बहाने के तहत किया जा रहा है।

श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से पहले ही, तथाकथित श्रम समाधान और श्रम सुविधा पोर्टल ने प्रतिष्ठानों के शिकायत–आधारित निरीक्षण की लंबे समय से स्थापित प्रणाली को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया है, जिससे नियोक्ताओं द्वारा श्रम–कानूनों का उल्लंघन एक खुला खेल बन गया है, जिसमें उन्हें कोई दंड नहीं मिलता।

श्रम संबंधी शासन व्यवस्था की ऐसी विकृत प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए समूचे शासन ने बिना किसी दिखावे के आम जनता पर भारी कर–बोझ से उत्पन्न पूरे राष्ट्रीय खजाने को मुट्ठीभर कॉरपोरेट्स द्वारा विभिन्न तथाकथित प्रोत्साहन योजनाओं, उत्पादन–संबंधी, पूंजी–व्यय–प्रोत्साहन और नवीनतम रोजगार–संबंधी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उदार शोषण के लिए खोल दिया है। विनिर्माण क्षेत्र के 14 उद्योगों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये की उत्पादन–संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, सेमी–कंडक्टर विनिर्माण उद्योगों के लिए 76000 करोड़ रुपये की पूंजी–व्यय प्रोत्साहन और पिछले दो–तीन वर्षों की प्रक्रिया में 2 लाख करोड़ रुपये की रोजगार–संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना से न तो कोई अतिरिक्त रोजगार पैदा हुआ, न ही संबंधित क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय उत्पादन में वृद्धि हुई, न ही निवेश में कोई सार्थक वृद्धि हुई, जो कि सभी रिकॉर्ड में हैं।

दूसरी ओर, हम मनरेगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न अन्य कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे सभी जन–संबंधित मदों में वास्तविक रूप से बजटीय आवंटन में लगातार गिरावट और भारी कटौती देखते हैं।

सरकार हाल ही में जारी कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के मसौदे के माध्यम से पहले से ही समाप्त किए जा चुके तीन कृषि कानूनों के प्रावधानों को वापस लाने का नापाक प्रयास कर रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा उचित विरोध किया जा रहा है। सी2 प्लस 50 के आधार पर वैधानिक एमएसपी और उस आधार पर सुनिश्चित खरीद पर प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए एसकेएम अपने निरंतर आंदोलन/संघर्ष गतिविधियों को जारी रखे हुए है।

सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली के लिए कर्मचारियों की उचित मांग को नजरअंदाज करते हुए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के विकल्प के रूप में बहुत कम एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को अधिसूचित किया है। यह अनिच्छा से ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के कार्यान्वयन को लागू करने और अवरुद्ध करने का आधा–अधूरा प्रयास कर रही है।

निजीकरण की अपनी नीति को जारी रखने के साथ–साथ सरकार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के माध्यम से निजीकरण के अपने नए प्रारूप को आक्रामक रूप से आगे बढ़ा रही है, वह भी सड़क, रेलवे, वायुमार्ग, बंदरगाह और गोदी, दूरसंचार के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में और साथ ही खनन में नापाक माइंस डेवलपर और ऑपरेटर (एमडीओ) मॉडल के माध्यम से सार्वजनिक संपत्तियों को कौड़ियों के दाम पर लूटने में सक्षम बना रही है, बल्कि संपत्तियों के शुद्ध मूल्य के मामले में लगभग मुफ्त है। बीमा में

100 प्रतिशत एफडीआई, डाक अधिनियम में संशोधन करके डाक सेवा पर सरकारी एकाधिकार को खत्म करना, रक्षा निर्माण, अनुसंधान और विकास, अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी सहित निजी कॉरपोरेट्स को सक्षम करना, ये सभी राष्ट्रीय हितों की कीमत पर कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए किए गए हैं, जिसके खिलाफ प्रतिरोध और अवज्ञा के क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ रहे हैं।

डिस्कॉम को निजी खिलाड़ियों को सौंपे जाने के खिलाफ बिजली कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं हाल ही में 23 फरवरी 2025 को नागपुर में आयोजित बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन ने इस अधिवेशन के संयुक्त हड़ताल आह्वान में शामिल होने का निर्णय लिया है तथा 26 जून 2025 को अपनी मांगों को लेकर पुनः स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय हड़ताल करने का संकल्प लिया है।

शिप ब्रेकिंग उद्यम में सरकार जो नयी नीति लाई है वो महिलाएं जिनका परिवार इस क्षेत्र में काम करने से चलता है उनमें से अधिकतर की रोजी–रोटी छिन जाएगी।

क्या यह सरकार हमारी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत नहीं है? हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सरकार जो कुछ भी कर रही है, वह विशाल कार्यबल की कीमत पर कॉरपोरेट वर्ग, अमीर लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने के लिए है। यह सत्तारूढ़ व्यवस्था न केवल श्रमिकों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों, बुद्धिजीवियों आदि के हितों के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि इसकी नीतियां भारतीय और विदेशी ब्रांड के कॉरपोरेट द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्तियों की लूट को सुविधाजनक बना रही हैं। ये नीतियां राष्ट्रीय हित के खिलाफ हैं।

हमारी सभी मांगें न्यायसंगत और वैध हैं तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आपदा और गिरावट से बचाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

श्रम संहिताओं और उसके साथ–साथ संपूर्ण शासन प्रणाली के पुनर्गठन का उद्देश्य ऐसी घोर जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी नीति व्यवस्था को बढ़ावा देना है और इसलिए निरंतर काम करने वाले लोगों की एकजुट कार्रवाई के माध्यम से श्रम संहिताओं को हराना और खत्म करना समय का प्रमुख कार्य बन गया है, साथ ही सीटीयू और फेडरेशन के संयुक्त मंच के 17 सूत्री मांगपत्र को पूरा करने की मांग को भी आगे बढ़ाने का है।

सर्वोच्च त्रिपक्षीय निकाय भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को तुरंत बुलाया जाना चाहिए। आईएलओ कन्वेंशन 87, 98, 190 को अनुमोदित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल सुरक्षा के संबंध में आईएलओ कन्वेंशन 155 और 187 के अनुसार कार्यस्थल पर अधिकारों के मौलिक सिद्धांतों (एफपीआरडब्ल्यू) का पालन किया जाना चाहिए और निरीक्षण के लिए कन्वेंशन–81 को लागू किया जाना चाहिए। घर–आधारित श्रमिकों की आईएलओ कन्वेंशन 170 और घरेलू श्रमिकों की आईएलओ कन्वेंशन 189 को तुरंत अनुमोदित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय हित में भारतीय रेलवे, सड़क परिवहन, कोयला खदानों और अन्य गैर–कोयला खदानों, बंदरगाह और गोदी, रक्षा, बिजली, इस्पात, पेट्रोलियम, डाक, दूरसंचार, बैंक और बीमा क्षेत्र आदि के निजीकरण अभियान पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। एनएमपी (NMP) योजना को समाप्त किया जाना चाहिए। रक्षा आयुध कारखाने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन्हें सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए तथा निगमीकरण को वापस लिया जाना चाहिए। बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई को रोका जाना चाहिए और पॉलिसी और एजेंसी पोर्टेबिलिटी को समाप्त किया जाना चाहिए। 26000 रुपये न्यूनतम वेतन, मूल्य सूचकांक के साथ हर पांच साल में नियमित संशोधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आठवें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाना चाहिए। निश्चित अवधि के रोजगार और अग्नि पथ योजना को समाप्त किया जाना चाहिए और नौकरियों की आउटसोर्सिंग/ठेकाकरण को रोका जाना चाहिए। समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार को स्वीकृत पदों पर भर्ती शुरू करनी चाहिए और साथ ही समाप्त हो चुके पदों को पुनर्जीवित करना चाहिए। 8 घंटे के कार्यदिवस के उल्लंघन पर रोक लगाई जानी चाहिए, जो कि श्रमिक वर्ग का कठिन परिश्रम से प्राप्त अधिकार है। उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में व्यावसायीकरण, केंद्रीकरण और साम्प्रदायीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे यह समाज के गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए अत्यंत महंगी हो जाएगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

गैर–अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाना चाहिए। ईपीएस 95 के तहत मूल्य सूचकांक से लिंक करते हुए 9000 रुपये न्यूनतम मासिक पेंशन सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो लोग किसी भी योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं, उन्हें राज्यों और केंद्र के बजट को साझा करके विशेष कोष/कॉर्पस बनाकर 6000 रुपये प्रति माह दिए जाने चाहिए। 75 लाख बीड़ी श्रमिकों के लिए, पिछली उपकर व्यवस्था के तहत बहुआयामी कल्याण योजना को सरकारी धन से बहाल किया जाना चाहिए। बीओसीडब्ल्यूबी में नामांकित 57.5 मिलियन से अधिक निर्माण और अन्य भवन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ में पर्याप्त सुधार किया जाना चाहिए। ई–श्रम पोर्टल में नामांकित 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को आवश्यक बजटीय निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा के तहत कवर किया जाना चाहिए। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को श्रमिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और उन पर सभी श्रम कानून लागू होने चाहिए। गर्मी की लहर, बाढ़, चक्रवात, बेमौसम बारिश आदि सहित चरम जलवायु स्थितियों के कारण होने वाले जोखिमों और क्षति को कवर करने के लिए जलवायु लचीलापन कोष की स्थापना की जानी चाहिए। प्रवासी श्रमिकों पर राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है तथा अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, उसमें

सुधार किया जाना चाहिए तथा उसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इमीग्रेशन नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है, साथ ही हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाना चाहिए।

आंगनवाड़ी, आशा तथा मध्यान्ह भोजन, आशा किरण आदि योजना श्रमिकों को श्रमिक का दर्जा प्रदान करने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश को लागू किया जाना चाहिए तथा न्यायिक निर्देशों के अनुसार उन्हें ग्रेच्युटी तत्काल सुनिश्चित की जानी चाहिए।

पर्याप्त बजटीय आवंटन के माध्यम से मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के साथ प्रति वर्ष 200 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा 43वें आईएलसी की सिफारिश के अनुसार इसे शहरी क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए।

इसलिए श्रमिकों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन हमारे देश के मेहनतकश लोगों से आह्वान करता है कि वे संयुक्त कार्रवाई की एक श्रृंखला के माध्यम से राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर एकजुट संघर्षों को जुझारू प्रतिरोध के उच्च स्तर पर ले जाएं। सबसे पहले, यह राष्ट्रीय सम्मेलन 20 मई 2025 को एक विशाल राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान करता है, जिसके पहले तैयारी अभियान/आंदोलन/लामबंदी की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें लोगों और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिगामी श्रम संहिताओं को हराने के लिए हमारे प्रतिरोध संघर्ष को जारी रखने के हमारे दृढ़ संकल्प पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

श्रमिकों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन, श्रम संहिताओं को समाप्त करने की अपनी मांग को दोहराते हुए तथा 17 सूत्री मांगों की पुष्टि करते हुए, जो विनाशकारी नवउदारवादी नीति व्यवस्था के संपूर्ण दायरे का विकल्प प्रस्तुत करता है, 20 मई 2025 की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लेता है तथा इसकी सफलता के लिए पूरे देश में निम्नलिखित कार्य/कार्यक्रम प्रस्तावित करता है:

- मार्च 2025 से अप्रैल 2025 के मध्य तक राज्य/जिला/तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन करें।
- श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की घोषणा के अगले ही दिन प्रतिरोध तथा अवज्ञा के रूप में विरोध कार्यवाहियों का आयोजन करें तथा उसके बाद 20 मई 2025 को आम हड़ताल के रूप में व्यापक अभियान जारी रखें।
- अप्रैल/मई 2025 के महीने में स्थानीय स्तर पर गहन अभियान चलाएं तथा पदयात्रा/जीप जत्थे/साइकिल जत्थे/मोटरसाइकिल जत्थे आदि के माध्यम से प्रत्येक मेहनतकश जनता तक पहुंचें।
- अप्रैल के महीने में, हड़ताल के लिए अभियान को बढ़ावा देने के लिए विकेन्द्रित राष्ट्रव्यापी लामबंदी आयोजित की जाए (तारीख बाद में तय की जा सकती है) उस दिन एनसीआर क्षेत्रों से भागीदारी के साथ दिल्ली लामबंदी आयोजित की जाए।
- 3 मई 2025 से पहले संबंधित यूनियनों और महासंघों के माध्यम से संबंधित क्षेत्र/उद्योग में आम हड़ताल नोटिस जारी करें।
- सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित आम हड़ताल नोटिस को 3 मई 2025 तक कारखानों में जारी करें, भले ही स्थानीय स्तर पर यूनियनें मौजूद न हों।
- स्थानीय भाषा में आम हड़ताल के लिए संयुक्त हस्ताक्षरित अपील को लाखों की संख्या में बढ़ाएँ और हर कर्मचारी तक पहुँचें।
- सभी वर्गों के श्रमिकों और आम लोगों तक पहुँचने के लिए गेट मीटिंग/कार्यस्थल स्तर/आवासीय क्षेत्र की बैठकें आयोजित करें।
- आम हड़ताल के बाद की गतिविधियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि राष्ट्र को इन राष्ट्र विरोधी नीतियों से बचाने के लिए श्रम संहिताओं और जन–विरोधी नीतियों के प्रतिरोध और अवज्ञा की लड़ाई को और तेज किया जा सके।

20 मई 2025 को बड़े पैमाने पर लामबंदी और राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल की ओर अग्रसर

इंटक **एटक** **एचएमएस** **सीटू** **एआइयूटीयूसी**

टीयूसीसी **सेवा** **एआईसीसीटीयू** **एलपीफ** **यूटीयूसी**

एवं

स्वतंत्र सेक्टोरल फेडरेशनें/ एसोसिएशनें